छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 353/2009

1.	श्री धनेश वर्मा, पंच, ग्राम पंचायत–रावन, विकासखण्ड–सिगमा, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)	–	शिकायतकर्ता
	विरूद्ध		
1.	जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–रावन, विकासखण्ड–सिगमा, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)	–	अनावेदक

//आदेश//
(दिनांक 03 सितंबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता श्री धनेश वर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत–रावन, जिला–रायपुर के समक्ष दिनांक 10.02.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं दिये जाने के कारण उनके द्वारा सूचना अधिकारी, जनपद पंचायत–सिमगा के समक्ष दिनांक 18.02.2009 को जानकारी का आवेदन प्रस्तुत किया गया, किन्तु पूर्व में उनसे सत्तर हजार रूपये का शुल्क मॉगा गया था, इसके संबंध में शिकायत आयोग के समक्ष दिनांक 24.04.2009 को प्रस्तुत की गई। प्रकरण में राशि अधिक मॉगा जाना प्रतीत होने के कारण यह निर्देश दिये गये थे कि एक सप्ताह में निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे तथा अधिक की चाहने पर नियमानुसार शुल्क लेकर प्रदान की जावे। उक्त आदेश का पालन नहीं होने के कारण सचिव को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिनांक 18.08.2009 को प्रस्तुत किया गया। चूंकि जानकारी बहुत अधिक विस्तृत मॉगी गई थी, जिसमें मस्टर रोल की प्रतियॉ इत्यादि भी थी, इसलिए सचिव द्वारा इस पर कुल व्यय सत्तर हजार रूपये अनुमानित सूचित किया था। ग्राम पंचायत के सभी कार्यों के मस्टर रोल की प्रतियॉ अपीलार्थी द्वारा चाही गई है, उससे प्रतीत होता है कि शुल्क की राशि की मॉग करने में सचिव की जानकारी छिपाने की कोई नियति नहीं थी, अतः इस आधार पर उन्हें दोषी नहीं पाया जा सकता। प्रकरण में शिकायतकर्ता ने दिनांक 18.08.2009 को एक आवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है, किन्तु उक्त आवेदन में सूचना के बारे में अधिक उल्लेख नहीं है और ज्यादातर उल्लेख ग्राम पंचायत में किये गये कार्यों में हुई गड़बड़ी के बारे में है, जिसके संबंध में जॉच करने का अनुरोध किया गया है तथा यह शिकायत कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की ओर भी भेजी गई है। अतः इस संबंध में सूचना आयोग का कार्यक्षेत्र नहीं है और इसके संबंध में केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस शिकायत में दिये गये तथ्यों की वे नियमानुसार जॉच करा लें और तत्पश्चात् जो भी कार्यवाही आवश्यक हो, वे उनके द्वारा अपने स्तर पर की जावे। प्रकरण में सचिव ने अपने उत्तर के साथ जनपद पंचायत के जॉच अधिकारी श्री पी0आर0 यदू का आवेदन दिनांक 07.07.2009 भी संलग्न किया है, जिसमें पंचायत कर्मियों द्वारा एक माह से हड़ताल पर रहने और जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण पंचायत कर्मी द्वारा खेद व्यक्त करने और जॉच अधिकारी के समक्ष निःशुल्क उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जॉच अधिकारी के समक्ष निःशुल्क रूप से जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थी ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होना स्वीकार किया है। अतः समस्त तथ्यों को देखते हुए प्रकरण में सचिव की जानकारी उपलब्ध कराने में कोई

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है और उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद होने के कारण जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में सचिव को केवल सूचना का अधिकार के आवेदनों पर भविष्य में समयावधि में कार्यवाही करने के लिए सचेत किया जाता है। प्रकरण में सभी तथ्यों को देखने से यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता की यह शिकायत उनके व सरपंच के मध्य गुटबाजी का परिणाम ही अधिक प्रतीत होती है, जिसके संबंध में नियमानुसार जॉच के लिए पूर्व में निर्देश दे दिये गये हैं, फिर भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अभी–तक यदि शिकायतकर्ता को सूचना की जानकारी बारे में असंतुष्टि हो और कोई जानकारी वे देना शेष बताते हो तो उन्हें संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण एक सप्ताह में करा दिया जावे और उसके बाद उनसे सूची लेकर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क दी जावे और अधिक की चाहने पर नियमानुसार शुल्क लेकर प्रदान की जावे। प्रकरण में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि जो थोड़ा विलंब जानकारी देने में हुआ है, उसके कारण शिकायतकर्ता को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए जनपद पंचायत की ओर से अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को राशि 150/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जावे।

2/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com